

## कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छत्तीसगढ़)

### प्रवेश-पत्र

### कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेंडेंट) पद हेतु साक्षात्कार

अपना नवीनतम्,  
पासपोर्ट साईज  
रंगीन फोटो, चर्स्पा  
करके लावें व  
स्वहस्ताक्षरित करें

1. आवेदन पंजीयन क्रमांक --	2. अभ्यर्थी का रोल नंबर -
3. परीक्षा तिथि 22-03-2025 दिन शनिवार	4. दस्तावेज सत्यापन कार्य प्रातः 7.30 बजे से साक्षात्कार का समय प्रातः 8.00 बजे से
5. परीक्षा केन्द्र का नाम - <b>ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर कोरबा</b>	
6. आवेदित पद का नाम - <b>कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेंडेंट)</b>	
7. अभ्यर्थी का पूरा नाम -	
8. पिता/पति का नाम -	
9. अभ्यर्थी का डाक का पता पिनकोड सहित-	..... ..... .....

**सही/-**  
**अध्यक्ष**  
**चयन समिति**  
**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा**  
**जिला-कोरबा (छ.ग.)**

### अभ्यर्थी के लिए अनुदेश

1. अभ्यर्थी को साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है तथा दस्तावेज सत्यापन के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. अभ्यर्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. साक्षात्कार प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात् अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. साक्षात्कार के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
6. साक्षात्कार में **मोबाईल फोन** या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना वर्जित है। लायी जाने वाली सामग्री की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी।
7. अभ्यर्थी को अर्हता संबंधी मूल दस्तावेज (कक्षा 5वीं, 8वीं, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन एवं अनुभव प्रमाण पत्र) लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता संबंधी मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं होता है अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।